



कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

विवरण पत्रिका



दाखिला सत्र 2017

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने की अवधि:
05.07.2017 से 20.07.2017



ऑनलाईन प्रवेश फार्म भरने के लिए निम्नलिखित वेब साइट पर जाएँ...

<http://www.itihry.com>

नोट: प्रार्थी दाखिला फार्म भरने से पहले विवरण पत्रिका को पूर्ण रूप से पढ़ें।

दस्तकार प्रशिक्षण योजना

1. परिचय:

औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ोतरी के कारण विभिन्न उद्योगों में निपुण कारीगरों की मांग निरन्तर बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने तथा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा युवक/युवतियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि औद्योगिक इकाईयों हेतु कुशल कारीगर उपलब्ध हों व प्रशिक्षण उपरान्त युवक/युवतियाँ अपना रोजगार स्वयं स्थापित करने के योग्य बनें। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह-शिक्षा), राजकीय (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरुग्राम के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक दृष्टि में	
प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह-शिक्षा संस्थान)	123
प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिलाओं के लिए)	33
प्रदेश में स्थापित कुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सह-शिक्षा संस्थान)	223
प्रदेश में स्थापित कुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिलाओं के लिए)	4
प्रदेश में कुल राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	383
प्रदेश में संचालित कुल व्यवसाय जिनमें (सत्र 2017-18 में) प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है	76
प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटें	89761

विभाग में निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :-

- (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
- (ख) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

1.1 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना : (Craftsman Training Scheme)

उद्देश्य :

- (क) भिन्न-भिन्न व्यवसायों में उपयोगी एवं कुशल कारीगर उपलब्ध करवाना।
- (ख) कारीगरों को उच्च प्रशिक्षण प्रदान कर औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को उंचा उठाना।
- (ग) युवकों तथा युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर स्व-रोजगार के योग्य बनाना।
- (घ) अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाकर बाजार में कारीगरों की मांग को पूरा करना।
- (ङ) बहुआयामी तथा बहुकुशल पाठ्यक्रमों को चलाकर संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन करना।
- (च) कार्यरत कारीगरों का परीक्षण तथा प्रमाणीकरण करते हुए श्रम बाजार में मानकीकरण करना।

1.2 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना:

इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवक/युवतियों को भिन्न-भिन्न प्रतिष्ठानों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधाएं देने से है ताकि शिक्षु व्यावहारिक कार्य में उच्च दक्षता हासिल कर सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षुता अधिनियम 1961 लागू हुआ जिसके अन्तर्गत सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर अनुसार प्रत्येक नामांकित व्यवसाय में शिक्षु लगाना संवैधानिक कानूनी दायित्व है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पास शुद्ध छात्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह अपनी कुशलता स्तर में सुधार ला सके। इस प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने उपरांत छात्र/छात्राओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षु लगाने का अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करने उपरांत उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। सभी शिक्षुओं के लिए निर्धारित वर्तमान वेतन की संशोधित दरें दिनांक 22 सितम्बर 2014 से निम्न प्रकार से लागू हैं:

प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान	हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित अर्द्ध कुशल कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी का 70 प्रतिशत
प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान	हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित अर्द्ध कुशल कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी का 80 प्रतिशत
प्रशिक्षण के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान	हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित अर्द्ध कुशल कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी का 90 प्रतिशत

2. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत दाखिला:

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2017-18 के दाखिले के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाईन दाखिले की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सभी व्यवसायों (ट्रेडों) में न्यूनतम निर्धारित योग्यता प्राप्त युवक तथा युवतियां दाखिले के लिए विभाग की ऑनलाईन काउंसलिंग वैबसाइट <http://www.itihry.com> पर आवेदन कर सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) में केवल युवतियां ही दाखिला ले सकती हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से उत्तीर्ण की गई हो अथवा हरियाणा राज्य में स्थित बोर्ड/यूनिवर्सिटी से प्राप्त अथवा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के समकक्ष होनी अनिवार्य है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समकक्ष अन्य राज्य के शिक्षा बोर्ड की सूची विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

2.1 दाखिले हेतु योग्यताएं:

- 2.1.1 शैक्षणिक योग्यता तथा पात्रता:— अभियान्त्रिकी (Engineering) एवं गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायों में दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता Annexure-A के अनुसार होनी अनिवार्य है। यदि कोई प्रार्थी Annexure-A के अनुसार न्यूनतम निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करता तो वह दाखिले का पात्र नहीं होगा।
- 2.1.2 किसी भी संस्थान में पहले से ही पूर्ण कालिक रूप से नियुक्त उम्मीदवार अपने नियोक्ताओं से अध्ययन अवकाश प्राप्त किए बिना दाखिले के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए दाखिले के समय नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 2.1.3 ऐसे व्यवसाय जिनमें दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता 8वीं पास है, उन व्यवसायों में दसवीं पास प्रार्थी यदि उपलब्ध हैं तो उन्हें वरीयता दी जायेगी। दसवीं पास प्रार्थी उपलब्ध न होने की अवस्था में ही आठवीं पास प्रार्थियों का दाखिला किया जायेगा।
- 2.1.4 प्रार्थियों को व्यवसाय विशेष जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण करने के इच्छुक हैं के लिये निर्धारित शारीरिक सक्षम होना अनिवार्य है। इस बारे में व्यवसायवार सूची (indicating suitability to Differently abled persons) विभागीय वैबसाइट (www.itiharyana.gov.in) पर उपलब्ध है तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस दर्शाई गई सूची अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करें।
- 2.1.5 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे व्यवसाय पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम हैं तथा छात्र प्रशिक्षण की कार्यकारी अवधि में किसी अन्य विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की अनियमितता पाई गई तो छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जायेगा।

2.2 आयु:

सभी व्यवसायों में दाखिले हेतु उम्मीदवारों की आयु 01 अगस्त, 2017 को कम से कम 14 वर्ष होनी अनिवार्य है। आयु की ऊपरी सीमा में पूर्णतया छूट है।

नोट: हरियाणा राज्य में आई. टी. आई. पास छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए सुअवसर उपलब्ध है। इस विषय में तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचना नं038/9/06-2 टीई दिनांक 24 फरवरी 2006 के अनुसार आई.टी.आई. पास छात्र/छात्राएं बहुतकनीकी शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाये गये डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री (Lateral Entry) के तहत सीधे द्वितीय वर्ष में दाखिला ले सकते हैं, जिसके लिये विस्तृत हिदायतें तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा से प्राप्त की जा सकती हैं।

3. दाखिला:

सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीयकृत दाखिला राज्य स्तरीय संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर चार या अधिक ऑनलाईन काउंसलिंग दाखिला चरणों में किया जाएगा तथा दाखिला फार्म ऑनलाईन पोर्टल <http://www.itihry.com> पर केवल एक ही बार भरा जाएगा। चार केन्द्रीयकृत दाखिला चरणों के पश्चात भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो नये आवेदन लेने बारे विचार किया जा सकता है।

पहले 3 ऑनलाईन दाखिला चरण केवल हरियाणा वासी प्रार्थियों के लिए है। चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी दाखिले के लिए स्वीकार किए जाएंगे। संयुक्त योग्यता सूची के आधार पर 4 अवसर प्रदान करने उपरान्त भी यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो इन रिक्त सीटों के प्रति दाखिला सम्बन्धित संस्थान स्तर पर ही योग्यता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार के दाखिले हेतु पूर्ण सूचना दाखिला वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

नोट: विभाग द्वारा दाखिला प्रक्रिया में किसी भी समय पर किसी भी संस्थान में चल रहे व्यवसाय यूनिटों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, किसी व्यवसाय को बंद एवं नया व्यवसाय भी चलाया जा सकता है। दाखिला

प्रक्रिया के दौरान नये राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किये जा सकते हैं। इस प्रकार की किसी भी सूचना के लिए दाखिला पोर्टल का अवलोकन करें।

3.1 दाखिले हेतु योग्यता का निर्धारण:

3.1.1 जिन व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यता आठवीं अथवा दसवीं पास है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए योग्यता दसवीं के कुल प्राप्त प्रतिशत अंकों से ही निकाली जाएगी तथा जिन व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 है, उन व्यवसायों में दाखिले के लिए योग्यता 10+2 के कुल प्राप्त प्रतिशत अंकों से ही निकाली जाएगी। दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंक भरने के लिए केवल श्रेष्ठ 5 विषयों के कुल अंक/प्राप्त अंक का योगफल ही दाखिला आवेदन पत्र में भरा जाए।

यदि बोर्ड द्वारा जारी की गई अंकतालिका में प्रार्थी के अंक CGPA में दिए गए हैं तो आवेदन-फार्म में भरते समय CGPA को सम्बन्धित बोर्ड के CGPA to % age factor से गुणा करते हुए अंको का प्रतिशत निकाला जाएगा। प्रार्थी अपनी अंकतालिका से देखते हुए इस गुणक factor को आवेदन फार्म में भरेंगे। प्रार्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वह अपने अंकतालिका या अपने बोर्ड की वेबसाइट से इस गुणक factor के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। यदि प्रार्थी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के भरे गये गलत CGPA factor की वजह से मैरिट कम या ज्यादा बनती है तथा इस कारण प्रार्थी का दाखिला किसी भी स्तर पर रद्द होता है तो उसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

3.1.2 प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) भारत सरकार के पत्र क्रं MSDE-02/01/2015-CD dated 15-06-2015 अनुसार जिन व्यवसायों के लिए पहले प्रवेश योग्यता 'गणित व विज्ञान के साथ दसवीं पास' थी, उसे 'गणित व विज्ञान विषय के अध्ययन के साथ दसवीं पास' कर दिया गया है।

3.1.3 दाखिले के लिए तैयार की गई योग्यता सूची में अंकों की समानता होने पर छात्र/छात्राओं को व्यवसाय की न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में निम्नलिखित विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी :-

- प्रथम निर्णायक:- जिस प्रार्थी के गणित विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- द्वितीय निर्णायक :-जिस प्रार्थी के विज्ञान विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- तृतीय निर्णायक :-जिस प्रार्थी के अंग्रेजी विषय में अधिक अंक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

3.1.4 इसके पश्चात भी कोई नतीजा प्राप्त न होने की स्थिति में ऐसे प्रार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी जिसकी आयु अधिक हो।

3.1.5 उपरोक्त बिन्दु नं0 4 में समानता होने पर उस प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.6 उपरोक्त 3, 4 व 5 बिन्दुओं पर समानता होने पर ऐसे प्रार्थी को दाखिला दिया जाए जिसके पिता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.7 उपरोक्त 3, 4, 5 व 6 बिन्दुओं पर समानता होने की स्थिति में उस प्रार्थी को दाखिला दिया जायगा जिसकी माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो।

3.1.8 10वीं पास की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के व्यवसायों में आवेदन करने वाले 10+2 पास प्रार्थियों को उच्च शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्न अनुसार हैं:-

- 10+2 में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त प्रार्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।
- 10+2 में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।

3.1.9 जिन व्यवसायों में दाखिले हेतु न्यूनतम योग्यता 10+2 पास है, ऐसे व्यवसायों में प्रार्थियों को सिद्धांत रूप में उच्च शैक्षणिक योग्यता (स्नातक डिग्री) के 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

3.1.10 दाखिले के लिए आवेदन करने वाली विधवा/विधवाओं के बच्चों को योग्यता सूची में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

नोट : यदि कोई प्रार्थी उक्त दोनों श्रेणियों में अधिमान का पात्र बनता है तो उसे दोनों अधिमान प्रदान की जाएगी।

नोट : सभी संस्थानों के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत दाखिला चार मुख्य चरणों में किया जाएगा। ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र एक ही बार, शुरुआत में आमंत्रित किए जाएंगे। पहले तीन चरणों में दाखिले हेतु एक ही योग्यता सूची (जो प्रथम दाखिले के समय बनाई जाएगी) लागू रहेगी। चौथे ऑनलाईन दाखिले के लिए अन्य राज्यों के प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदन भी दाखिला प्रक्रिया के लिए स्वीकार किए

जाएंगे। यदि चार ऑनलाईन काउंसलिंग के बाद भी सीटें शेष रह जाती हैं तब अन्तिम दाखिला सम्बन्धित संस्थान स्तर पर मैरिट आधार पर किया जाएगा जिसके लिए सूचना विभाग की वेबसाइट www.itiharyana.gov.in , www.itihry.com पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

3.2 दाखिले के लिए जरूरी दिशा-निर्देश :

- 3.2.1 प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाईन दाखिला पत्र भरने से पहले दाखिला वेबसाइट पर दिए गए नमूना पत्र को भरें ताकि मुख्य फार्म को भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका न रहे।
- 3.2.2 विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती है। अतः प्रार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह संस्थान का चयन सावधानी पूर्वक करें।
- 3.2.3 ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए प्रार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा जो कि निम्न प्रकार से है:-

- सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100/- ₹0 (non refundable) शुल्क लिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रार्थियों से 50/- ₹0 (non refundable) शुल्क लिया जाएगा।
- महिला प्रार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रार्थी द्वारा Net Banking / Credit card / Debit card एवं विभाग द्वारा जारी किए गए स्कैंच कार्ड द्वारा भी काउंसलिंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

प्रार्थी, सरकार द्वारा अनुमोदित ग्राहक सेवा केन्द्रों (Customer Service Center) पर 50/- ₹0 अतिरिक्त शुल्क देकर दाखिले के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा राज्य में स्थित CSCs की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- 3.2.4 प्रदेश में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाए जा रहे व्यवसाय DGT भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से एवं राज्य सरकार की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) के अधीन संचालित हैं।
- 3.2.5 प्रार्थियों को SCVT तथा NCVT पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसायों में प्रवेश हेतु अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन-पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाईन आवेदन फार्म के अन्तर्गत दोनों ही प्रकार के व्यवसायों को चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- 3.2.6 प्रार्थी विवरण पुस्तिका को भली-भाँति पढ़कर स्पष्ट रूप से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरें। त्रुटि-पूर्ण भरे गये ऑनलाईन आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे त्रुटि-पूर्ण ऑनलाईन आवेदन के प्रति कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 3.2.7 ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट (Printout) की एक प्रति प्रार्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
- 3.2.8 ऑनलाईन आवेदन को फीस भरकर जमा करवाने के बाद प्रार्थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकेंगे। यदि फार्म में गलती हो गई है या उसमें संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में पुराने भरे गए फार्म को रद्द करने उपरान्त ही नया फार्म भरा जा सकता है जिसके लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा।
- 3.2.9 राजकीय (महिला)/निजी (महिला) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 100 प्रतिशत सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित हैं तथा अन्य सभी संस्थान सह-शिक्षण (co-education) संस्थानों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- 3.2.10 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अभियान्त्रिकी (Engineering), गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसायों का पूर्ण पाठ्यक्रम छमाही (semester) पर आधारित होगा (प्रत्येक समैस्टर 6 मास की अवधि का होगा)।
- 3.2.11 प्रत्येक छमाही (semester) का प्रशिक्षण अगस्त या फरवरी मास में (Academic session अनुसार) आरम्भ होगा।

3.3 सीट आवंटन प्रक्रिया:-

आगामी प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में दाखिला हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

- 3.3.1 ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय प्रार्थी हरियाणा प्रदेश में किसी भी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के किसी भी व्यवसाय (SCVT/NCVT से सम्बद्ध) के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर एवं व्यवसायवार आरक्षण के आधार पर सीटों की संख्या ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।
- 3.3.2 प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये संस्थान/व्यवसायों के विकल्प में से प्रार्थी की योग्यता के आधार पर भरे हुए विकल्पों में से वरीयता क्रमानुसार व्यवसाय/संस्थान में रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी।
- 3.3.3 प्रार्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर अलग-अलग व्यवसायों/संस्थानों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा ताकि वह अपनी पसंद अनुसार विकल्पों को भरें तथा भरे हुए विकल्पों को अपनी वरीयता के क्रम में ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर जमा करें।
- 3.3.4 ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश स्तर पर एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-2 योग्यता सूची तैयार की जायेगी। जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आठवीं अथवा दसवीं है उन व्यवसायों के लिए दसवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाएगी तथा जिन व्यवसायों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10+2 है उन व्यवसायों के लिए 10+2 में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाएगी। एक बार बनाई गई योग्यता सूची अगले दाखिलों तक मान्य होगी।
- 3.3.5 ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रार्थी (लड़के/लड़कियां) अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय/संस्थान के अधिकतम 15 विकल्प भर सकते हैं।
- 3.3.6 प्रार्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक (अतिरिक्त अधिमान अंक यदि कोई हो को जोड़ते हुए) के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

DGT, New Delhi (प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार), द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यवसायों की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायवार, प्रशिक्षण अवधि का ब्यौरा मार्ग दर्शन हेतु Annexure-A पर उपलब्ध है, जिसमें कि DGT, New Delhi के द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने पर तदानुसार चयनित प्रार्थी को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. ऑनलाईन काउंसलिंग दाखिला प्रक्रिया

4.1 प्रथम काउंसलिंग चरण

- 4.1.1 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा सत्र 2017-18 में दाखिले हेतु आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए संस्थानवार, व्यवसायवार, किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चल रहे व्यवसाय एवं वर्गवार सीटों का विवरण उपलब्ध है जिसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा।
- 4.1.2 दाखिले के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्राप्त अंकों पर प्रदेश स्तरीय अलग-2 योग्यता सूची तैयार की जायेगी।
- 4.1.3 प्रथम दाखिला चरण में किसी भी संस्थान/व्यवसाय में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए योग्यता सूची के क्रम अनुसार प्रार्थियों को सीट आवंटित की जायेगी। प्रत्येक प्रार्थी के लिए उसके द्वारा अंकित प्रथम वरीयता के व्यवसाय/संस्थान के लिए यह परीक्षण किया जायेगा कि क्या उसकी योग्यता के आधार पर उसके द्वारा योग्यता क्रम में चिन्हित व्यवसाय/संस्थान में सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित सीट आवंटित की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है, तो प्रार्थी के आरक्षण वर्ग (यादि कोई लागू हो तो) (if applicable) के आधार पर सीट आवंटन का प्रयास किया जाएगा। उसके द्वारा योग्यता क्रम में चिन्हित अगले व्यवसाय के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जायेगी जब तक उसके द्वारा चिन्हित समस्त व्यवसायों एवं संस्थानों में कोई सीट उपलब्ध न रहे।
- 4.1.4 तत्पश्चात योग्यता सूची में अगली वरीयता क्रम के प्रार्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहरायी जायेगी और इसी क्रम में समस्त प्रार्थियों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सीटों का आवंटन किया जायेगा जब तक कि समस्त उपलब्ध सीटें आवंटित नहीं हो जाती।
- 4.1.5 प्रार्थियों द्वारा पंजीकृत किये गये व्यवसाय एवं संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीट आवंटन का परिणाम विभाग द्वारा तैयार करवाने उपरांत दाखिला वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 4.1.6 प्रथम काउंसलिंग चरण में सीट आवंटित होने के बाद प्रार्थी को दाखिले की पुष्टि करने के लिए सम्बन्धित संस्थान में अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि प्रार्थी आवंटित की गई सीट पर दाखिला लेने का इच्छुक नहीं है तो इस स्थिति में भी प्रार्थी को सम्बन्धित संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपने सभी दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करवानी है। **प्रार्थी द्वारा सीट आवंटित होने के पश्चात दाखिले के लिए संस्थान में मूल-प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत न होना तथा दाखिला न लेने की स्थिति में दस्तावेजों की जांच-पड़ताल न करवाए जाने पर ऐसे आवेदनों को अगले काउंसलिंग चरणों से बाहर कर दिया जाएगा तथा उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी।** इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

4.1.7 यदि प्रथम काउंसलिंग चरण के पश्चात प्रार्थी द्वारा अपनी आवंटित की गई सीट पर दाखिला न लेते हुए केवल मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवा लिया जाता है तो वह अगले काउंसलिंग चरण में भाग ले सकते हैं तथा सीट आवंटित होने के उपरान्त भी उन्हें अपने साथ मूल-प्रमाण पत्र पुनः दाखिले के समय प्रस्तुत करने होंगे क्योंकि सीट आवंटन का आधार भिन्न हो सकता है।

4.2 द्वितीय काउंसलिंग चरण:

4.2.1 प्रथम काउंसलिंग चरण के उपरान्त संस्थानवार/व्यवसायवार रिक्त सीटों का विवरण तैयार कर दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रार्थियों द्वारा व्यवसाय/संस्थान का विकल्प पुनः पंजीकृत करने हेतु सूचना दाखिला वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

4.2.2 द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रार्थी को दाखिला पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक अपनी सहमति देनी अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि वो अपने संस्थान/व्यवसाय का ऑप्शन/विकल्प बदलना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि तक ऐसा कर सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग चरण के लिए ऐसे सभी आवेदनों को स्वतः लिया जाएगा जिन्हें प्रथम काउंसलिंग चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। यदि कोई प्रार्थी नया विकल्प नहीं चुनता, तो उसके ऑनलाईन आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विकल्पों पर ही उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय/संस्थान आवंटित कर दिया जायेगा।

4.2.3 यदि कोई प्रार्थी जिसे प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा काउंसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण की भांति की जायेगी।

4.3 तृतीय काउंसलिंग चरण:

द्वितीय काउंसलिंग के बाद सभी सह-शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

4.3.1 यदि किसी प्रार्थी को प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा काउंसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

4.4 चतुर्थ काउंसलिंग चरण:

तीसरे दाखिले के उपरान्त सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों (पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति वर्ग/दिव्यांग) की रिक्त रह गई सीटों को चतुर्थ दाखिले हेतु सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

4.4.1 चतुर्थ काउंसलिंग चरण की समस्त कार्यवाही पहले किए गए काउंसलिंग चरणों की भांति ही की जायेगी।

4.4.2 यदि किसी प्रार्थी को जिसे प्रथम, द्वितीय या तृतीय काउंसलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है वह भी दोबारा दाखिला काउंसलिंग में भाग ले सकता है परन्तु इस स्थिति में उसे आवंटित की गई सीट रद्द कर दी जाएगी एवं प्रार्थी द्वारा संस्थान में दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

दाखिले हेतु महत्वपूर्ण सूचना:

100 प्रतिशत सीटें हरियाणा के मूल निवासी युवक/युवतियों से भरी जानी हैं यद्यपि चार दाखिलों के बाद अन्य सभी राज्यों के निवासियों के लिये भी दाखिला खोल दिया जायेगा।

ऑनलाईन विकल्प आधारित दाखिला प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से सम्पन्न की जायेगी। प्रदेश में निर्धारित काउंसलिंग चरण अनुसार अन्तिम प्रवेश तिथि के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रार्थी का प्रवेश सम्भव नहीं होगा। विवरणी में दर्शाये गये किसी भी संस्थान/व्यवसाय में दाखिले आदेश को वापिस लेने का अधिकार कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के पास सुरक्षित रहेगा।

5 दाखिला सत्र :

संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 की अवधि 01 अगस्त 2017 से आरम्भ होगी तथा नियमित कक्षाएं 01 अगस्त 2017 से आरम्भ होंगी। 01 अगस्त के पश्चात दाखिला प्राप्त प्रार्थियों को दाखिले के अगले दिन से ही नियमित कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है।

6 दाखिला प्रक्रिया:

विभागीय ऑनलाईन काउंसलिंग वैबसाईट पर निर्धारित तिथि को योग्यता सूची के प्रदर्शन के बाद प्रार्थी अपना सीट आवंटन पत्र (allotment letter) प्रिंट कर सकते हैं। इस पत्र में प्रार्थी को आवंटित किया गया व्यवसाय एवं संस्थान का विवरण होगा तथा प्रार्थी को निर्धारित समय सीमा अनुसार सम्बन्धित संस्थान में दाखिले के लिए प्रस्तुत होना होगा। आवेदकों को दाखिले के लिये अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे जाएंगे। दाखिले हेतु आवश्यक कार्यवाही निर्धारित तिथि को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ की जाएगी और लगातार निर्धारित प्रोग्राम अनुसार पूर्ण कर ली जाएगी।

अलग-2 काउंसलिंग चरणों में निर्धारित तिथियों पर सभी प्रार्थियों को संस्थान में दाखिले के समय अपनी शैक्षणिक योग्यताओं, चरित्र तथा आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में साथ लाने होंगे। चयन होने पर प्रार्थियों से उसी समय निर्धारित शुल्क लेकर दाखिला दे दिया जाएगा। यदि कोई प्रार्थी साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण पत्र दाखिला कमेटी को जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसके दाखिले के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। इन मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रार्थी की योग्यता की जांच की जाएगी तथा योग्य पाए जाने पर योग्यता के आधार पर दाखिले हेतु विचार किया जाएगा। दाखिले के समय प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के सत्यापन हेतु प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना के प्रति यदि कोई प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत न किए जाने कि स्थिति में प्रार्थी का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।

यदि कोई प्रार्थी जिसे काउंसलिंग में सीट आवंटित की गई है परन्तु वह निर्धारित तिथि तक संस्थान में दाखिले हेतु उपस्थित नहीं होता तथा न ही दाखिला न लेने की स्थिति में अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल के लिए प्रस्तुत होता है तो इस स्थिति में प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रार्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियां सम्बन्धित संस्थान में जमा करवाएंगे। संस्थान में प्रार्थी के दाखिला लेने उपरान्त दाखिले की पूर्ण सूचना तत्काल प्रभाव से ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज कर दी जाएगी।

6.1 संस्थान में दाखिला उपरान्त उपस्थिति दर्ज करवाना :

प्रत्येक काउंसलिंग चरण में दाखिला प्राप्त सभी छात्र/छात्राएं अपने-2 सम्बन्धित संस्थानों में (जहां उनका दाखिला हुआ है), कार्यालय समय में अपनी उपस्थिति 01 अगस्त 2017 से या जिस दिन दाखिला हुआ है उस दिन से दर्ज करवाएंगे अन्यथा नियमानुसार उनका दाखिला स्वतः रद्द माना जाएगा तथा उनका शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। इस प्रकार रिक्त हुई सीटें अगले दाखिले हेतु उपलब्ध होंगी तथा अगले दाखिला चरण में भर ली जायेंगी।

7 अन्तिम दाखिला :

ऑनलाईन दाखिला काउंसलिंग के चार चरण पूर्ण होने के पश्चात भी यदि राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यदि सीटें शेष रह जाती हैं तो ऐसी रिक्त सीटों के लिए अन्तिम दाखिला केन्द्रीयकृत न होकर संस्थान स्तर पर किया जाएगा। अन्तिम दाखिले के लिए समय सारणी एवं पूर्ण कार्यक्रम विभाग की दाखिला वैबसाईट पर एवं मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अन्तिम दाखिले के लिए रिक्त सीटों की सूची विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. आरक्षण :

दाखिले हेतु आरक्षण निम्न अनुसार है :

(i) अनुसूचित जाति	:20 प्रतिशत
(ii) पिछड़े वर्ग	:27 प्रतिशत (16 प्रतिशत खण्ड 'ए' के लिए, 11 प्रतिशत खण्ड 'बी' के लिए)
(iii) दिव्यांग	:03 प्रतिशत (1 प्रतिशत (Blind/LowVision) 1 एवं बधिर (Deaf & Dumb) 1 प्रतिशत लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेबरल पालसी)

नोट 1: Admission in Differently abled category will be subject to production of medical certificate from Govt. Hospital/competent authority. However, the candidate will be admitted in those trades only for which they are suitable keeping in view of their differently abled. The list of the trades suitable for different types of differently abled person can be downloaded from website www.itiharyana.gov.in.

नोट 2: यदि दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उनके स्थान पर 01 प्रतिशत तक भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रितों तथा 01 प्रतिशत तक स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दाखिला दिया जा सकता है।

भूतपूर्व सैनिक/उनके आश्रितों को दाखिला देने से पूर्व सक्षम अधिकारी/जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोट 3: मूक एवं बधिर कल्याण केन्द्र, गुरुग्राम में 100 प्रतिशत सीटों पर मूक एवं बधिर प्रार्थियों का दाखिला होगा।

नोट 4: Further, 3% Horizontal reservation is also provided to Ex-servicemen/Freedom Fighters and their dependents by providing reservation within reservation of 1% of general category, 1% out of scheduled castes and 1% from backward classes category for admission. As far as block allocation in Block A and Block B of Backward Class category is concerned, yearwise rotational system will be adopted e.g. If A Block of Backward classes are given seats in the academic year 2014, the next block i.e. B Block of category of Backward Classes will be given seats in the next academic year i.e. 2015. (Block B in 2017)

नोट 5: पिछड़े वर्ग की आरक्षित सीट अगर खण्ड 'ए' में खाली रह जाती है तो वह खण्ड 'बी' की जाति से भरी जा सकती है, इसी प्रकार खण्ड 'बी' की रिक्त सीट खण्ड 'ए' द्वारा भरी जा सकती है। पिछड़े वर्ग की आरक्षित रिक्त सीट अन्य खण्ड से दूसरे दाखिले के उपरान्त ही भरी जाये।

नोट 6: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिनमें SCSP योजना (Scheduled Cast Sub Plan) के तहत व्यवसाय यूनिट चलाए जा रहे हैं उनकी प्रत्येक व्यवसाय यूनिट में 75 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 25 प्रतिशत सीटें अन्य वर्ग के प्रार्थियों से भरी जाएंगी।

9. महिलाओं के लिए आरक्षण :

सभी सह-शिक्षण राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए सभी वर्गों में दाखिले में आरक्षण (horizontal) निम्नानुसार है :-

- 9.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो यूनिट विशेष तौर पर महिलाओं के लिए चल रहे हैं उनमें केवल महिलाओं का ही दाखिला होगा।
- 9.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टैनों हिन्दी तथा स्टैनों अंग्रेजी व्यवसायों में पहले की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा।
- 9.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसायों में महिलाओं के लिए दाखिले में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

10. संस्थानों हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान करने वाली पंचायतों को दाखिले में लाभ :

जिन ग्राम पंचायतों ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है, ऐसी ग्राम पंचायतों को संस्थान की प्रत्येक व्यवसाय यूनिट में योग्यता के आधार पर एक छात्र को दाखिले के लिए मनोनीत करने का अधिकार होगा बशर्ते कि ऐसे छात्रों की कुल संख्या 10 से अधिक न हो। ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत छात्र उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का हो तथा दाखिले हेतु अन्य सभी शर्तें पूर्ण करता हो। यह दाखिला प्रत्येक व्यवसाय यूनिट की स्वीकृत सीटों से अतिरिक्त सीटों के प्रति किया जाएगा। ग्राम पंचायतें मनोनीत किए जाने वाले छात्रों की सूची एवं सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य को दाखिले हेतु आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि से पूर्व सौंपेगी। इन सीटों के प्रति दाखिला संस्थान स्तर पर होगा तथा यह दाखिला ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

11. Upgradation of 1396 Govt ITIs through Public Private Partnership योजना के तहत जिन 53 संस्थानों का उन्नयन (upgrade) किया जा रहा है, उन संस्थानों में चल रहे सभी व्यवसायों की 20 प्रतिशत सीटों पर दाखिला संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) कोटे का होगा। छात्र द्वारा इन सीटों पर दाखिले के लिए सामान्य सीटों के लिए वसूल किया जाने वाला शुल्क, निधि, प्रतिभूति आदि के अतिरिक्त 600/-₹0 प्रति माह का शुल्क देना होगा। 600/-₹0 प्रति माह की यह फीस संस्थान प्रबन्धक कमेटी (IMC) के खाते में जमा होगी। इस दाखिले हेतु मूल योग्यता सूची व आरक्षण प्रणाली यथावत लागू होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन काउंसलिंग प्रक्रिया से होगा तथा आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी को सामान्य शुल्क एवं संस्थान प्रबंधक कोटे की सीटें अलग-2 प्रदर्शित होंगी।

12. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साल्हावास जिला झज्जर में स्वीकृत सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें APCPL Ltd. द्वारा झाड़ली में लगाए गए ताप उर्जा संयंत्र (Thermal Power Plant) के कारण विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित होंगी जिनके प्रति दाखिले के लिए उम्मीदवारों को APCPL कम्पनी नामांकित करेगी। नामांकन के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्देशों की पालना करनी होगी। इन सीटों के प्रति दाखिला ऑन लाईन काउंसलिंग से न होते हुए संस्थान स्तर पर होगा तथा यह दाखिला ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

13. DGT के निर्देशानुसार NCVT एवं SCVT से सम्बद्ध सभी व्यवसाय यूनिटों की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अधिक सीटों पर दाखिला होगा।

14. DGT द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल प्रत्येक छात्र/छात्रा को IT Literacy का निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है।

नोट 1. सभी सीटें हरियाणा वासियों के लिए हैं। संस्थान में उपलब्ध सीटों के प्रति आवेदनकर्ताओं की एक संयुक्त योग्यता सूची जिसमें सभी वर्ग के प्रत्याशी शामिल होंगे, तैयार की जाएगी जिसके आधार पर दाखिला होगा।

नोट 2. मेवात निवासियों के लिए मेवात क्षेत्र में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सभी सीटों के प्रति 50 प्रतिशत आरक्षण है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा दाखिले हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मेवात के किसी स्कूल से उत्तीर्ण की हो अथवा प्रमाण हेतु अपना रिहायशी प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड मूल रूप में दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा।

15 शुल्क, निधियाँ एवं प्रतिभूतियाँ तथा इनके नियम (राजकीय संस्थानों में)

15.1 शिक्षण शुल्क (Tuition fees) :

हरियाणा राज्य के मूल निवासी सभी छात्रों को प्रतिमास 15/- रुपये शिक्षण शुल्क व अन्य राज्यों के मूल निवासी छात्रों को प्रति मास 300/- ₹0 शिक्षण शुल्क के रूप में देने होंगे। तीन-तीन मास का इकट्ठा शुल्क प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह अर्थात् अगस्त, नवम्बर, फरवरी एवं मई मास की 20 तारीख तक जमा करवाना होगा। 21 तारीख से 30 तारीख तक शुल्क दो रुपये प्रतिदिन जुर्माना के साथ जमा किया जा सकता है। जो छात्र इस अवधि में भी शुल्क जमा नहीं करवाएंगे उनका नाम बिना सूचित किये संस्थान से काट दिया जाएगा। सभी छात्राओं की शिक्षण शुल्क माफ है।

15.2 छात्रनिधि (Student Fund) :

प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रनिधि 30/- ₹0 प्रतिमास की दर से त्रैमासिक फीस के साथ जमा करवाना होगा जो कि अप्रतिदेय (non-refundable) है।

15.3 भवन निधि (Building Fund) :

प्रत्येक छात्र को 120/- ₹0 प्रतिवर्ष भवन निधि शिक्षण सत्र के आरम्भ में ही एकमुश्त जमा करवाना होगा। दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के छात्रों को भी भवन निधि प्रतिवर्ष अगस्त मास में 120/- ₹0 एकमुश्त पुनः जमा करवाना होगा। यह अप्रतिदेय (non-refundable) है।

15.4 पहचान पत्र (Identitey Card) :

प्रत्येक छात्र को दाखिले के समय 10/- ₹0 पहचान पत्र के लिए जमा करवाने होंगे। पहचान पत्र खो जाने पर छात्र को शपथ पत्र देना होगा तथा नया पहचान पत्र बनवाने हेतु पुनः 10/- ₹0 जमा करवाने होंगे।

15.5 प्रतिभूति (Security):

- दाखिले के समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिभूति के रूप में 300/- ₹0 की राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय (Govt. Dues) यदि कोई हो की कटौती करते हुए प्रतिभूति की राशि छात्र/छात्रा को वापिस लौटा दी जाएगी।
- पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए 25/- ₹0 प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। प्रशिक्षण की सन्तोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय यदि कोई हो की कटौती करते हुए प्रतिभूति (Security) वापिस लौटा दी जाएगी।
- यदि कोई छात्र प्रशिक्षण अधूरा छोड़कर चला जाता है या उसका नाम संस्थान द्वारा काट दिया जाता है तो उस अवस्था में जमा करवाई गई प्रतिभूति की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

नोट:- दाखिले के समय ही शिक्षण शुल्क, छात्रनिधि, भवन निधि एवं प्रतिभूति राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य है।

15.6 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क:

DGT से प्राप्त निर्देशानुसार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित की गई है:-

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु:-

1. अभियान्त्रिकी (Engineering) व्यवसाय	:	15,000 /- ₹0
2. गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसाय	:	12,000 /- ₹0

शहरी क्षेत्रों में स्थित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु:-

1. अभियान्त्रिकी (Engineering) व्यवसाय	:	16,500 /- ₹0
2. गैर अभियान्त्रिकी (Non-Engineering) व्यवसाय:	:	13,200 /- ₹0

इसके अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की जानकारी सम्बन्धित संस्थान के स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

16. छात्रवृत्तियां :

संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान पात्र प्रशिक्षणार्थियों को निम्न अनुसार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

- 16.1 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित छात्रों को भारत सरकार की Post Matric Scholarship Scheme के अन्तर्गत 230/-₹0 प्रतिमास छात्रवृत्ति व पूर्ण शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा (जिन छात्र/छात्राओं की हाजरी 80 प्रतिशत हो) की जाती है। इसके लिये परिवार की सालाना आय 2.50 लाख ₹0 से कम होनी अनिवार्य है। दाखिल हुए छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु अनुबन्ध 'घ' पर दिए गए छात्रवृत्ति फार्म को भर कर तथा इसके साथ आय प्रमाण पत्र (उप-मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया) को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति लेने का पात्र होगा, उसे छात्रवृत्ति की अदायगी लेने के लिये निर्धारित बैंक में अपना बचत खाता खुलवाकर उसकी पासबुक की फोटोप्रति खाता न0 सहित प्रधानाचार्य को स्वयं सत्यापित करके देनी होगी व छात्र/छात्रा के लिये आधार कार्ड बनवाना व आधार बैंक से सीड करवाना भी अनिवार्य होगा।
- 16.2 सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल अनुसूचित जाति के हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को Post Matric Scholarship Scheme के अन्तर्गत 230/-₹0 प्रतिमास छात्रवृत्ति तथा शिक्षण शुल्क (अधिकतम 1000/-₹0 प्रति माह) की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है जिसके लिए छात्र/छात्रा की हाजरी 80 प्रतिशत से अधिक व परिवार की सालाना आय 2.50 लाख ₹0 से कम होनी अनिवार्य है। दाखिल किए गए छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु अनुबन्ध 'घ' पर दिए गए छात्रवृत्ति फार्म को भर कर तथा इसके साथ आय प्रमाण पत्र (जो उप-मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 16.3 भूतपूर्व सैनिकों को 100/-₹0 प्रतिमास तथा उनके आश्रितों को 40/-₹0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है।
- 16.4 अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, जैन, सिख, पारसी एवं बौद्ध धर्म) के योग्य छात्र/छात्राओं को 230/-₹0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति व 10,000/-₹0 तक की शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के मापदण्डों के अनुसार की जाती है। इसके लिये परिवार की सालाना आय 2.00 लाख ₹0 से कम होनी अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उनके खाते में दी जाती है।
- 16.5 राजकीय संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 33.3 प्रतिशत छात्रों को निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर 45/-₹0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। परिवार की सालाना आय 1.00 लाख ₹0 से कम होनी अनिवार्य है। दाखिल हुए प्रार्थी छात्रवृत्ति हेतु अनुबन्ध 'घ' पर दिए गए छात्रवृत्ति फार्म को भर कर तथा इसके साथ आय प्रमाण पत्र (जो उप-मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया हो) सलग्न करके सम्बन्धित संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोट : उपरोक्त छात्रवृत्ति केवल हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं के लिए है तथा उन्हीं को देय होगी जिनकी संस्थान में उपस्थिति प्रत्येक तिमाही में 80 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। छात्रवृत्ति प्रत्येक तिमाही में देय होगी। उपरोक्त छात्रवृत्तियों बारे सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह चालू वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन/पंजीकरण करने हेतु दाखिला प्राप्त छात्र/छात्राएं अपने संस्थान के प्रधानाचार्य से सम्पर्क करें।

16.6 प्रोत्साहन:

महिलाओं व अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहनार्थ 1000/-₹0 की Tool Kit निशुल्क प्रदान की जाती है।

17 संस्थान का समय

सभी सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शनिवार, रविवार व केवल राजपत्रित अवकाश के दिन संस्थान बन्द होंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्य दिवसों को सभी संस्थान खुले रहेंगे।

18 प्रवास सुविधा

उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में संस्थान के मुखिया द्वारा छात्रों का प्रवास एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों को मध्यनजर रखते हुए प्रथम समैस्टर के दाखिले उपरान्त 31 अक्टूबर तक किया जा सकता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही सभी छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में उनका प्रवास प्रथम समैस्टर के दाखिले उपरान्त 31 अक्टूबर तक तथा शेष सभी समैस्टर के प्रथम मास में किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास NCVT व्यवसाय यूनिट में तथा SCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास SCVT व्यवसाय यूनिट में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है। मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास केवल मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में ही किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिस प्रार्थी द्वारा प्रवास हेतु पहले आवेदन किया गया है उसे प्रवास का अवसर पहले प्रदान किया जायेगा। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिल हुए छात्र/छात्राओं का प्रवास नहीं होगा।

19. प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष हिदायतें

- 19.1 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान से बिना किसी सूचना के लगातार दस दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम एक नोटिस देने उपरान्त संस्थान के मुखिया द्वारा काट दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षणार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 19.2 संस्थान से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा से एक रूपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जो छात्र/छात्रा दिन के किसी भाग में संस्थान से अनुपस्थित रहेगा उसे भी उस दिन का एक रूपया जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना त्रैमासिक फीस के साथ देय होगा।
- 19.3 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत चल रहे सभी राजकीय/निजी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं सप्ताह के प्रत्येक कार्यदिवस को विभाग द्वारा गर्मी व सर्दी हेतु निर्धारित वर्दी पहन कर आएंगे। वर्दी का नमूना व रंग संस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है।
- 19.4 नियमित कक्षाएं दिनांक **01.08.2017** से आरम्भ होंगी।
- 19.5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सभी छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित फीस देनी होगी तथा यह प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य है।

20. परीक्षा :

- 20.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद (NCVT) से मान्यता प्राप्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की परीक्षा का आयोजन महानिदेशक प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाता है और पास हुए छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद् की ओर से जारी किया जाता है। जिन छात्र/छात्राओं का दाखिला SCVT स्कीम के तहत होगा उनकी परीक्षा तथा प्रमाण पत्र NCVT स्कीम के अन्तर्गत होगा।
- 20.2 केवल उन्ही प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिसकी प्रत्येक विषय में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थितियां होंगी।
- 20.3 जो छात्र/छात्राएं परीक्षा के लिए 80 प्रतिशत हाजरियां प्रथम समैस्टर में पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें अगले वर्ष पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा। DGT के निदेशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों को (जिनका नाम 80 प्रतिशत हाजरी पूरी न होने की वजह से कट चुका है) स्वीकृत सीटों के प्रति दाखिले मे वरीयता दी जाएगी ताकि वे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर सकें।
- 20.4 छात्र/छात्रा को 15 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए तीन सप्ताह तक का तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 6 सप्ताह तक का चिकित्सा अवकाश सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जा सकता है।
- 20.5 जो प्रशिक्षणार्थी 80 प्रतिशत हाजरियां पूरी कर लेते हैं परन्तु किन्ही कारणों से परीक्षा में नहीं बैठ सके तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं।

20.6 प्रत्येक समैस्टर की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने उपरान्त प्रत्येक वर्ष जुलाई तथा जनवरी मास में फाईनल परीक्षा होगी।

21 **परीक्षा फीस :**

(क) नियमित छात्र	100/- रुपये
(ख) फेल छात्र	100/- रुपये (प्रति अवसर)
(ग) फार्म जमा करवाने की लेट फीस	500/-रुपये
(घ) प्रमाण पत्र की फीस	100/- रुपये (प्रति प्रमाण पत्र)

सैमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत एक वर्षीय व दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु छात्र/छात्राओं से केवल एक ही बार प्रथम समैस्टर के शुल्क के साथ ही 100/- रु0 मूल प्रमाण पत्र का शुल्क लिया जाएगा तथा मूल प्रमाण पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण पत्र का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

22. **प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र तथा व्यवसाय :**

- 22.1 प्रार्थी प्रत्येक जिले में चल रहे व्यवसायों के बारे में जानकारी जिला स्तर पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा विभाग की वैबसाईट से प्राप्त कर लेवें तथा उसी अनुसार अपना फार्म भरें। प्रत्येक संस्थान में व्यवसाय जो कि NCVT स्कीम के अन्तर्गत चल रहे हैं, में कितने प्रार्थी दाखिल किए जाने हैं इस बारे में सूचना संस्थान के मुखिया के पास उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर व्यवसायों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। जो व्यवसाय NCVT स्कीम के अन्तर्गत चलाए गए हैं, केवल उनकी परीक्षा NCVT स्कीम के अन्तर्गत ली जाएगी।
- 22.2 DGT के दिनांक 02.11.2010 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी व्यवसाय में SCVT प्रमाण-पत्र प्राप्त छात्र/छात्रा सम्बन्धित व्यवसाय में NCVT के तहत अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (All India Trade Test) में बतौर निजी उम्मीदवार बैठ सकता है।
- 22.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा NCVT के अंतर्गत पास करने के बाद छात्र/छात्रा शिक्षता अधिनियम 1961 के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों/सरकारी विभागों/निगमों में प्रशिक्षु लगाए जा सकते हैं। अधिनियम का विवरण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मुखिया या राज्य शिक्षता सलाहकार हरियाणा से प्राप्त किया जा सकता है।
- 22.4 परीक्षा पास करने के बाद हर छात्र को अपने संस्थान के सम्बन्धित व्यवसाय के अनुदेशक तथा संस्थान के मुखिया से सम्पर्क रखना चाहिए जिससे कि संस्थान के मुखिया उसको नौकरी दिलवाने/स्वयं रोजगार आरम्भ करने के बारे में उचित मार्ग-दर्शन कर सके।
- 22.5 हरियाणा राज्य की SCVT स्कीम के अन्तर्गत सोलह (16) विभिन्न व्यवसायों में पास हुए प्रशिक्षणार्थियों को भी शिक्षता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षु लगाया जा सकता है जिसके लिए समय अवधि की शर्तें NCVT उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों से भिन्न होगी। पूर्ण सूचना संस्थान के मुखिया के पास उपलब्ध है, जो कि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.12.2004 को प्रकाशित की गई थी।
- 22.6 सत्र 2017-18 में नए व्यवसाय आरम्भ किए जा सकते हैं तथा वर्तमान संस्थानों के स्वीकृत व्यवसायों में फेर बदल भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में नए संस्थान भी खोले जा सकते हैं व इनकी सीटों के प्रति दाखिला भी संयुक्त योग्यता सूची से किया जाएगा। आवश्यकता पडने पर दाखिला प्रक्रिया, नियमों एवं दाखिला तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस बारे में नवीनतम सूचना जिला स्तर की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य व विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in , www.itihry.com से प्राप्त की जा सकती है।
- 22.7 जिन व्यवसायों में 6 अथवा 6 से कम दाखिला होगा, उन व्यवसायों में दाखिल छात्र/छात्राओं को उनकी सुविधा अनुसार सम्बन्धित व्यवसायों अथवा नजदीकी संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास/समायोजन NCVT व्यवसाय में तथा SCVT व्यवसाय में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास/समायोजन SCVT व्यवसाय में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन पत्र भर कर जमा (submit) करने पर प्रार्थी उन सभी नियमों, प्रतिबंधों तथा उपबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो विवरण-पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं एवं जिनको समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तन किया सकता है या नवीनतम नियम भी लागू किए जा सकते हैं।
2. यदि किसी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व/प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो उस प्रार्थी का आवेदन/दाखिला निरस्त कर दिया जायेगा।
3. यह देखा गया है कि प्रार्थी अन्य वर्ग/वरीयता कॉलम में वरीयता के पात्र न होते हुए भी उसका चयन कर लेते हैं। जिससे उस वर्ग में उनका चयन होने के उपरान्त पात्रता के अभाव में प्रवेश नहीं हो पाता है। अतः प्रार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि पात्रता होने पर ही सम्बन्धित वर्ग/वरीयता का चयन करें। यदि कोई प्रार्थी ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अधूरी, अस्पष्ट अथवा गलत सूचना अंकित करता है तो आवेदन-पत्र की ऐसी सूचनायें आवेदन जमा (Submit) करने के बाद सशोधित नहीं की जा सकेगी। अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना के कारण प्रार्थी को होने वाली हानि के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे अपूर्ण/अस्पष्ट/गलत भरे आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
4. ऑनलाइन आवेदन करते समय संस्थान एवं व्यवसाय आदि का चयन सावधानीपूर्वक करें। इसके गलत हो जाने का उत्तरदायित्व प्रार्थी का ही होगा।
5. विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण केवल प्रार्थी के सूचनार्थ एवं निर्देशार्थ हैं। विवरण पुस्तिका वैधानिक प्रलेख नहीं है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा।
6. वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पंचकुला में स्थित न्यायालय ही मान्य होगा। प्रार्थी के प्रवेश के सम्बन्ध में परिषद्/विभाग का निर्णय अन्तिम होगा तथा प्रार्थी परिषद्/विभाग के नियम मानने हेतु बाध्य होंगे।
7. यदि किसी चयनित प्रार्थी के प्रवेश के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/मूल अंक तालिका (अस्थायी अथवा प्रतिबन्धों के साथ मान्य नहीं है) की 'प्राप्ति' विलम्ब से होती है अथवा किसी अन्य कारणवश यदि प्रार्थी संस्थान में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक वांछित शैक्षिक अर्हता का प्रमाण-पत्र आदि नहीं प्रस्तुत करता है अथवा प्रवेश नहीं ले पाता है तो सम्बन्धित प्रार्थी को प्रवेश प्रदान कराने का उत्तरदायित्व संस्थान/विभाग का नहीं होगा तथा प्रार्थी का चयन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
8. काउंसलिंग के लिए ऐसे व्यवसाय जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, ऐसे व्यवसायों में दाखिले के लिए 10वीं पास प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। चौथे काउंसलिंग चरण में 8वीं पास प्रार्थियों को इन व्यवसायों में दाखिले के प्रति विचार किया जायेगा।
9. पहली चार काउंसलिंग केवल हरियाणा निवासी प्रार्थियों के लिए है, पांचवी काउंसलिंग में दाखिले के लिए नये आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे तथा अन्य राज्यों के प्रार्थी भी आवेदन पत्र भर सकते हैं।
10. द्वितीय काउंसलिंग चरण के बाद सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित 30 प्रतिशत सीटों में से रिक्त बची सीटों को संबंधित वर्ग की सीटों में जोड़ दिया जायेगा।
11. तृतीय काउंसलिंग के बाद आरक्षित कोटे में रिक्त बची सभी सीटों को सामान्य वर्ग में जोड़ दिया जायेगा।
12. प्रार्थी ऑनलाईन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क जो कि अप्रतिदेय है (non-refundable) जमा करवायेंगे। यह शुल्क विभाग द्वारा जारी स्केच कार्ड एवं बैंको द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड तथा Net banking द्वारा ऑनलाईन तथा सरकार द्वारा अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों (CSC) के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
13. महिला उम्मीदवारों से कोई काउंसलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।
14. अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से 50/- ₹0 एवं सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से 100/- ₹0 counseling शुल्क लिया जाएगा।
15. दाखिले के लिए योग्यता सूची बनाने से पहले प्रार्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच नहीं की जायेगी। प्रार्थियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दी गई सूचना को सत्य माना जायेगा तथा यदि बाद में दाखिले के समय प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे प्रार्थियों के आवेदन पत्रों को

रद्द कर दिया जायेगा। ऐसे प्रार्थी दाखिले के पात्र नहीं होंगे तथा उन द्वारा जमा की गई फीस भी वापिस नहीं की जायेगी।

16. योग्यता सूची के लिए उन्हीं आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जायेगा, जिनकी काउसलिंग फीस जमा हो चुकी है।
17. प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं व चरित्र प्रमाण-पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां दाखिले की तिथि को अपने साथ लेकर संस्थान में आये अन्यथा दाखिला नहीं किया जायेगा जिसके लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।
18. जिन प्रार्थियों ने दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा हरियाणा राज्य में स्थित हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से पास की है तथा यह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से पास परीक्षा के समकक्ष है, उन्हें हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र दाखिले के समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
19. दाखिले हेतु उपलब्ध व्यवसायों/यूनिटों की सूची एवं सीटों की संख्या विभागीय वैबसाईट www.itiharyana.gov.in तथा www.itihry.com पर उपलब्ध है।
20. NCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद NCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो कि पूरे भारत-वर्ष में मान्य है। SCVT से सम्बद्ध व्यवसाय यूनिट में दाखिला लेने के बाद प्रार्थी का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद SCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो कि केवल राज्य सरकार से ही मान्यता प्राप्त है। अतः SCVT व्यवसाय में दाखिला से पूर्ण प्रार्थी पूर्ण तरह से समझ लें कि इन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद SCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
21. राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में 5 व्यवसाय केवल SCVT से ही सम्बद्ध हैं तथा इनकी NCVT से सम्बद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। SCVT व्यवसाय में दाखिला से पूर्ण प्रार्थी पूर्ण तरह से समझ लें कि इन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद SCVT का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए दिशा-निर्देश

1. हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रार्थी काउंसलिंग वेबसाइट <http://www.itihry.com> पर लॉगिन करें तथा अपना पंजीकरण पूर्ण करें। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया 05.07.2017 से आरम्भ होगी तथा 20.07.2017 तक प्रार्थी आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल नये पंजीकरण के लिए बंद कर दिया जाएगा।
2. प्रार्थी ऑनलाईन आवेदन से पहले सभी दिशा-निर्देश को ध्यान से पढ़ें तथा उनसे सहमत होने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।
3. अगर प्रार्थी को ऑनलाईन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो वह दाखिले के लिए बनाए गए सहायता केन्द्र से मदद ले सकता है। दाखिले में सहायता के लिए दूरभाष नं0 दाखिला वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आनलाईन पोर्टल पर आवेदन फार्म भरने की पूरी जानकारी उपलब्ध है।
4. ऑनलाईन पंजीकरण के लिए प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाएं भरनी आवश्यक है ताकि यह सूचना बाद में सीट आवंटन हेतु प्रयोग की जा सके।

आवेदक का नाम

लिंग

आरक्षण वर्ग (पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति इत्यादि)

शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं में प्राप्त अंक)

पिता/माता का नाम

व्यवसाय/संस्थान का चयन

मोबाईल नं0

प्रार्थी इन सब सूचनाओं को पोर्टल पर डालने से पहले भली-भांति चैक कर लें। एक बार ये सब सूचनाएं पोर्टल पर डालने के बाद इनमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा तथा किसी भी गलती के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। उपरोक्त सभी सूचनाएं पोर्टल पर डालने के बाद प्रार्थी को उपयोगकर्ता/पासवर्ड का SMS अपने दिए गए मोबाईल नं0 पर प्राप्त होगा। प्रार्थी को यह विशेष हिदायत दी जाती है कि वे अपने पंजीकरण का पासवर्ड गोपनीय रखें तथा उसे अपने तक ही सीमित रखें ताकि कोई अन्य इसका दुरुपयोग न कर सके तथा इसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5. ऑनलाईन दाखिले का पंजीकरण केवल एक बार ही किया जाएगा तथा यह पहले चार चरणों में ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए मान्य होगा। पांचवे चरण में दूसरे राज्यों के प्रार्थियों के आवेदन भी स्वीकार किए जा सकते हैं।
6. सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रार्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट लें तथा इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसके साथ प्रार्थी पंजीकरण के लिए बनाया पासवर्ड भी सुरक्षित रखें।
7. केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को दाखिले हेतु स्वीकार किया जाएगा जिनका काउंसलिंग शुल्क निर्धारित समय सीमा में जमा किया है।
8. फीस जमा करवाने के बाद प्रार्थी काउंसलिंग पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करें तथा दाखिले हेतु अपनी इच्छानुसार व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का चयन करते हुए उन्हें अपनी वरीयता अनुसार क्रम में लगाएं।

पसंद अनुसार व्यवसाय तथा संस्थान चुनना

9. प्रार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-2 व्यवसायों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का चयन कर सकते हैं। प्रार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवसाय/संस्थान के ज्यादा से ज्यादा (अधिकतम 15) विकल्प भरें ताकि उन्हें पहली ही काउंसलिंग में सीट आवंटित हो सके।
10. प्रार्थियों को अपनी पसंद अनुसार चुने गए व्यवसाय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को वरीयता के क्रम में लगाकर एक निर्धारित तिथि तक लॉक करना अनिवार्य है। ताकि यह सूचना सीट आवंटन/योग्यता सूची तैयार करने हेतु उपलब्ध हो सकें। प्रार्थियों को समय-समय पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने द्वारा दिए गए विकल्पों को जमा करा दें।

सीट आवंटन:-

11. ऑनलाईन दाखिले के लिए पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्धारित की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता अनुसार सीटों का

आवंटन किया जाएगा। यह आबंटन प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग, चुने गए व्यवसाय/संस्थान तथा संस्थानों में दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों पर निर्भर होगा। यह सीट आबंटन पूर्णतया: अस्थायी होगा।

योग्यता सूची तथा सीट आवंटन

- 12 योग्यता सूची के आधार पर किया गया सीट आवंटन निर्धारित तिथि को घोषित किया जाएगा तथा यह दाखिला वैबसाईट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रार्थी ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपने अस्थायी सीट आवंटन पत्र की प्रति ले सकते हैं।

(यह सीट आवंटन पूर्णतया: अस्थायी है तथा प्रार्थी के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्रों की जांच पड़ताल, संस्थान में दाखिले के दिन उपस्थित होने एवं शुल्क जमा करवाने पर निर्भर है)

सीट आवंटित की सूचना सभी प्रार्थियों को SMS द्वारा भी प्रदान की जाएगी जिन्होंने पंजीकरण के समय अपना सही मोबाईल नंबर दिया है।

दाखिले के लिए संस्थान में रिपोर्ट करना

- 13 प्रार्थी अपना अस्थायी सीट आवंटन पत्र लेकर तथा उस पर अपनी नवीनतम फोटो लगाकर निर्धारित तिथि अनुसार दर्शाए गए संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जांच सही पाई जाने के बाद प्रार्थी शुल्क जमा करवाएंगे ताकि उन्हें आवंटित की गई सीट पर दाखिला दिया जा सके।

- 14 यदि प्रार्थी द्वारा दाखिले के लिए निर्धारित समय सीमा पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ऐसे प्रार्थी के दाखिले पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यह सीट रद्द कर दी जाएगी तथा आवेदन पत्र को अगले दाखिला चरणों में शामिल नहीं किया जाएगा।

- 15 यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण-पत्र सही पाए जाते हैं तो शुल्क जमा करने के बाद सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रार्थी को दाखिला पत्र प्रदान करेगी।

(कोई भी छात्र यदि पहली काउंसलिंग में सीट आवंटन से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरी काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इस स्थिति में छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और छात्र द्वारा दाखिले के लिए जमा करवाया गया शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा)

- 16 यदि कोई प्रार्थी पहली काउंसलिंग के बाद निर्धारित तिथि पर संस्थान में आवंटित सीट के प्रति दाखिला /मूल प्रमाण-पत्रों की जांच पड़ताल के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा तथा इस सीट के लिए प्रार्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ऐसे प्रार्थी अन्य किसी भी काउंसलिंग चरण में भाग नहीं ले पाएंगे।

- 17 दूसरी, तीसरी एवं चौथी काउंसलिंग में सीट आवंटन के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा यदि इसके पश्चात भी सीटें शेष रह जाती हैं तो अन्तिम दाखिला संस्थान स्तर पर किया जा सकता है जिसके लिए सूचना समाचार पत्रों में तथा विभाग की वैबसाईट पर जारी की जाएगी।

निदेशक,

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा ।

District wise List of all Govt. & Pvt. ITIs alongwith trades / seats is available on admission website www.itihry.com

Note: Any trades/units can be closed and new trades can be opened in any Govt. ITI/Private ITI without any notice. Trade-wise sanctioned seat available for admission for session 2017-18 can be viewed on departmetnal website www.itiharyana.gov.in and also on admission counseling portal www.itihry.com.

Following Pvt. ITIs are only for women candidates:-

1. Ladies Industrial Home Seva Samiti PITI, Mandir Marg, Head Post Office, Karnal,
2. Kasturba PITI, Radaur, Yamuna Nagar,
3. Women League ITC, Nehru Park, Model Town, Yamuna Nagar,
4. Sant Nikka Singh PITI, Nirmal Dham Model town, Karnal

Note: Admission to Sainik Parivar Bhawan PITIs and Army PITI shall be done only for War Widows, Widow of ESM and their dependents, dependents of Ex-servicemen/serving Defence Personnels, Wards of Ex-Paramilitary Force/Serving Paramilitary forces personnels belonging to Haryana.

नोट :- दशमेश प्राईवेट आईटीआई गांव करामी, कुरुक्षेत्र को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए 50 प्रतिशत सीटें सिक्ख समुदाय के छात्रों हेतु आरक्षित हैं तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें आरक्षण पोलिसी अनुसार भरी जाएंगी।

Annexure-A**(List of Engineering & Non-Engineering trades)**

Sr. No.	Trade	Duration	Qualification	Unit size	Seats for Admission	Trade type
1	Architectural Assistant	1 Year	Passed class 10 th under 10+2 system with minimum of 40% independently in Science and Mathematics	20	26	Engg.
2	Basic Cosmetology (old name -Hair & Skin Care)	1 Year	Passed 10 th Class examination	20	26	Non-Engg
3	Book Binder (SCVT only)	1 Year	Passed 10 th class examination	16	21	Non-Engg.
4	Carpenter	1 Year	Passed 8 th standard	20	26	Engg
5	Catering & Hospitality Assistant	1 Year	Passed 10 th class examination	16	21	Non-Engg
6	Computer Aided Embroidery and Designing	1 Year	Passed 10 th class under 10+2 system of examination	16	21	Non-Engg
7	Computer Hardware & Network Maintenance	1 Year	Passed 10 th with Science and Math as subjects	20	26	Engg
8	Computer Operator and Programming Assistant	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg
9	Craftsman Food Production (General) or Food Production (General)	1 Year	Passed 10 th Class examination	20	26	Non-Engg
10	Dental Laboratory Technician	2 Years	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg
11	Desktop Publishing Operator	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg
12	Draughtsman (Civil)	2 Years	10 th class Passed	20	26	Engg

13	Draughtsman (Mechanical)	2 Years	Passed 10 th class with Science and Mathematics under 10+2 system of education or its equivalent	20	26	Engg
14	Dress Making	1 Year	Passed 10 th class Under 10+2 System of examination	16	21	Non-Engg
15	Electrician	2 Years	Passed 10 th class examination under 10+2 System of education with Science and Mathematics or its equivalent.	16	21	Engg
16	Electronics Mechanic	2 Years	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education	20	26	Engg
17	Electroplater	2 Years	Pass in 10 th Class under 10+2 system of education	16	21	Engg
18	Fashion Design & Technology	1 Year	Passed 10 th class examination	16	21	Non-Engg
19	Fire Technology and Industrial Safety Management	1 Year	a. Passed class 12 th Exam. under 10+2 system of education or its equivalent. b. The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course	20	26	Non-Engg
20	Fitter	2 Years	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	16	21	Engg
21	Food & Beverages Services Assistant (old name- Steward)	1 Year	Passed 10 th class examination	16	21	Non-Engg
22	Footwear Maker	1 Year	passed 8 th class examination	16	21	Non-Engg
23	Forger & Heat Treater (SCVT only)	1 Year	Passed 10 th class examination	16	21	Non-Engg.
24	Foundryman Technician	1 Year	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	16	21	Engg
25	Front office Assistant	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non engg
26	Health Safety & Environment (only in Pvt. ITI)	1 Year	a) Passed class 10 th Examination b) The minimum physical requirements are i. Height - 165 cm ii. Weight - 52 kg	20	26	Non engg

			iii. Chest - Normal 81 cm - Expanded 85 cm iv. A registered MBBS doctor must certify that the candidate is medically fit to undertake the course			
27	Health Sanitary Inspector	1 Year	Passed 10 th Class examination	20	26	Non-Engg
28	Hospital House keeping	1 Year	Passed 10 th Class examination	20	26	Non-Engg.
29	House keeper (only in Pvt. ITI)	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg.
30	Information Communication Technology System Maintenance (old name- ITESM)	2 Years	Passed 10 th with Science and Math as subjects	16	21	Engg
31	Information Technology	2 Years	Passed 10 th with Science and Math as subjects	20	26	Engg
32	Instrument Mechanic	2 Years	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	20	26	Engg
33	Interior Design & Decoration	1 Year	Passed 10 th Class under 10+2 system with minimum of 40% independently in Science and Mathematics	20	26	Engg
34	Laboratory Assistant (Chemical Plant)	2 Years	Passed 10 th Class Examination under 10+2 system with Science and Mathematics and equivalent	16	21	Engg
35	Leather Goods Maker	1 Year	8 th class passed	16	21	Non-Engg
36	Lift and Escalator Mechanic (old name- Lift Mechanic)	2 Years	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent	16	21	Engg
37	Litho Offset Machine Minder	1 Year	Passed 10 th class examination	16	21	Non engg
38	Machinist	2 Years	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	12	16	Engg
39	Machinist (Grinder)	2 Years	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	12	16	Engg
40	Mechanic (Motor Vehicle)	2 Years	Passed 10 th class examination with maths and Science	16	21	Engg
41	Mechanic (Refrigeration & Air-conditioning)	2 Years	Pass in 10 th Class under 10+2 system of Education	20	26	Engg
42	Mechanic (Tractor)	1 Year	Passed 10 th class examination with Math and Science	16	21	Engg

43	Mechanic Agricultural Machinery	2 Years	Passed 10 th class examination with Math and Science	16	21	Engg
44	Mechanic Auto Body Painting	1 Year	Passed 10 th class examination with math and Science	16	21	Engg
45	Mechanic Auto Body Repair	1 Year	Passed 10 th class examination with math and Science	16	21	Engg
46	Mechanic Auto Electrical and Electronics	1 Year	Passed 10 th class examination with maths and Science	16	21	Engg
47	Mechanic Consumer Electronics Appliances	2 Years	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education	20	26	Engg
48	Mechanic Diesel Engine	1 Year	Passed 10 th class examination with maths and Science	16	21	Engg
49	Mechanic Machine Tools Maintenance	2 Years	Passed class 10 th Exam. Under 10+2 system of Education or its Equivalent	20	26	Engg
50	Multimedia Animation & Special Effect	1 Year	Passed 10 th Standard under 10+2 System	20	26	Non engg
51	Painter General	2 Years	8 th Passed	16	21	Engg
52	Pattern Maker (SCVT only)	1 Year	Passed 8 th class exam.	16	21	Engg
53	Physiotherapy Technician	1 Year	10 th class passed	16	21	Engg
54	Plastic Processing Operator	1 Year	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics	16	21	Engg
55	Plumber	1 Year	10 th Passed	20	26	Engg
56	Pre/Preparatory School Management Assistant	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg.
57	Radiology Technician (only in Pvt. ITI)	2 Years	10 th Class Passed	16	21	Engg
58	Retailing (SCVT only)	2 Years	Passed 10 th class examination	16	21	Non-Engg.
59	Sewing Technology (old name- Cutting & Sewing)	1 Year	Passed 10 th class Under 10+2 System of examination (revised to 8 th pass)	16	21	Non-Engg
60	Sheet Metal Worker	1 Year	Pass 8 th Class Examination	16	21	Engg
61	Spa Therapy	1 Year	Passed 10 th class Examination	20	26	Non-Engg.

62	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg
63	Stenographer & Secretarial Assistant (English)	1 Year	Passed 10 th class examination	20	26	Non-Engg
64	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)	1 Year	Passed 10 th Class(revised to 8 th pass)	16	21	Non-Engg
65	Surveyor	1 Year	Passed 10 th Class under 10+2 system	20	26	Engg
66	Technician Power Electronic System	2 Years	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education	20	26	Engg
67	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)	2 Years	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	16	21	Engg
68	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	2 Years	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	16	21	Engg
69	Turner	2 Years	Passed 10 th Class with Science and Mathematics under 10+2 system of Education or its equivalent	12	16	Engg
70	Watch & Clock Repair (SCVT only)	1 Year	Passed 10 th class examination with Math and Science	16	21	Non-Engg.
71	Welder (Fabrication & Fitting)	1 Year	Pass 8 th Class Examination	16	21	Engg
72	Welder (GMAW & GTAW)	1 Year	Pass 8 th Class Examination	16	21	Engg
73	Welder (Pipe)	1 Year	Pass 8 th Class Examination	16	21	Engg
74	Welder (Welding & Inspection) (only in Pvt. ITI)	1 Year	Pass 8 th Class Examination	16	21	Engg
75	Welder	1 Year	Pass 8 th Class Examination	16	21	Engg
76	Wireman	2 Years	8 th pass	16	21	Engg

अनुबन्ध 'घ'

छात्रवृत्ति फार्म-सत्र 2017-18

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

नोट : प्रार्थी द्वारा दी गई सूचना जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा सत्यापित होनी चाहिए :-

1. प्रार्थी का नाम व पता
2. रोल नं०व्यवसाय.....
3. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाणित पत्रों की संख्याकित प्रतियों सहित).....
4. क्या विवाहित है ?.....
5. पिता/पति का नाम
6. माता का नाम
7. पिता/पति का व्यवसाय
8. पिता/पति की कुल वार्षिक आय(आय प्रमाण पत्र सलंग्न कर)
9. संरक्षक का नाम (यह कालम तभी भरा जाए यदि पिता/पति जीवित ना हों).....
10. संरक्षक का व्यवसाय
11. संरक्षक के साथ प्रार्थी का सम्बन्ध.....
12. प्रार्थी के पिता/पति के जीवित होने के बावजूद संरक्षक द्वारा सहायता देने के कारण
13. संरक्षक की वार्षिक आय (आय सभी विस्तार स्त्रोतों सहित).....
14. क्या प्रार्थी पूर्ण रूप से विशेष रूप से पिता के संरक्षक में है.....
15. (क) परिवार के दूसरे सदस्यों की संख्या.....
(ख) पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आयकर की अदायगी का ब्यौरा
16. अचल सम्पति का ब्यौरा.....
17. (क) पिता/संरक्षक द्वारा भूमिकर/मकान टैक्स की अदायगी बारे सत्यापित.....
(ख) पिता/संरक्षक द्वारा वार्षिक आयकर/आयकर कर की अदायगी का ब्यौरा
18. प्रोविडेंट फण्ड बीमा के लिए की गई वार्षिक अदायगी.....
19. क्या प्रार्थी के माता/पिता/संरक्षक अपने मकान में या किराए के मकान में रह रहे हैं.....
20. पिता/संरक्षक पर निर्भर सदस्यों की संख्या.....
21. क्या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग या अल्प संख्यक वर्ग से संबंधित है
यदि हां तो वर्ग / जाति का नाम
22. पिछड़े क्षेत्र, राजनितिक पीड़ितों, भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री
(प्रमाण-पत्र की सांख्याकित प्रतियां लगाई जाए).....
23. छात्र/छात्रा के नाम बैंक बचत खाता न०.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24. बैंक का नाम:.....स्थान.....
25. आधार कार्ड न० (आवश्यक).....

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर दिया गया विवरण हमारे ज्ञान अनुसार बिल्कुल ठीक है और कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

तिथि.....

पिता/पति/संरक्षक के हस्ताक्षर

प्रार्थी के हस्ताक्षर

INCOME CERTIFICATE

**OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) / EXECUTIVE
MAGISTRATE**

As reported by Tehsildar/Naib Tehsildar, the annual income of Sh. -----

----- Father /Husband of Sh./Smt.-----

Resident of ----- from all sources is Rs.--

----- (Rupees-----

-----)

Place:

Date:

Sub Divisional Officer (C) / Executive
Magistrate.

NOTICE
FOR ATTENTION OF ADMISION SEEKERS TO NATIONAL
COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING (NCVT) APPROVED
TRADES IN Govt. /Prive ITIs.

All admision seekers to NCVT approved various trades (Engineering/Non-Engineering), are advised in their own interest that they should confirm and satisfy themselves before seeking admission to any trade that the trade/unit in the Industrial Training Institute (Govt.)/ Industrial Training Institute (Pvt.) {GITIs/PITIs} is affiliated to NCVT. The students of trades/units which are NCVT affiliated on the date of admission are only eligible for appearing in All India Trade Test for the award of National Trade Certificate.

The List of affiliated trades/units is available with respective institutes and respective State Directorates.

It is also informed in the interest of general public that NCVT/Govt. of India do not recognize any GITI/PITI. NCVT affilates only the trades and its units run by a particular GITI/PITI.

Deputy Director General (Training)
Dated:-DGT, Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India

NOTICE

Circular No. Exam/4/SCVT/Rules/Part-II

Dated 27.8.09

“The certificates issued by State Council of Vocational Training is equivalent to the certificate issued by National Council of Vocational Training except for the purposes of Schemes/programmes which are affiliated/governed/controlled/run by Govt. of India (like NCVT affiliation or implementation of Apprenticeship Training scheme or admissions in institutes run by Govt. of India like ATI/CTI/RVTI/NCTI etc.)”

Director
Skill Development & Industrial Training Department,
Haryana

NOTICE

DGT के दिनांक 02.11.2010 द्वारा जारी निर्देशा के अनुसार किसी व्यवसाय में SCVT प्रमाण-पत्र प्राप्त छात्र/छात्रा सम्बन्धित व्यवसाय में NCVT के तहत अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (All India Trade Test) में बतौर प्राईवेट उम्मीदवार बैठ सकता है ।

संस्थान में रैगिंग करना व धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है ।



Director, Skill Development & Industrial Training Department, Haryana
30 Bays Building, Sector-17 B, Chandigarh